प्रेस नोट दिनांक 06.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा 49 पेटी (2352 क्वार्टर) अवैध अंग्रेजी शराब ,शराब परिवहन में प्रयुक्त 02 कार, 113600 /- नगद(कुल बरामदगी अनुमानित कीमत 15.5 लाख रुपये) व अवैध असलहा सहित अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में शराब तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में SOG इटावा एवं थाना इकदिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शराब तस्करों को 49 पेटी (2352 क्वार्टर) अवैध अंग्रेजी शराब, 02 कार, 113600 /- नगद व 01 पिस्टल .32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05/.06.05.2021 की रात्रि को SOG टीम एवं थाना इकदिल पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन के पालनार्थ क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग अभियान चलाया गया था। जिसके क्रम में SOG टीम एवं थाना इकदिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मानिकपुर मोड पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि ग्वालियर रोड पर अपना ढाबा के पास दो अलग - अलग कारों में 03 व्यक्ति अवैध शराब लाद रहे हैं। जिनके पास अवैध असलहा भी है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान ग्वालियर रोड अपना ढाबा के नजदीक पहुंची तो वहाँ पर दो कारों के पास 03 व्यक्ति खडे हुए दिखायी दिये जोकि पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पीछा करके घेरकर पक़ड लिया गया। पकडे गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 पिस्टल बरामद की गयी तथा पास खडी गाडियों की तलाशी लेने पर गाडियों से 1,10,950 रुपये नगद व शराब बरामद की गयी जिन पर अंग्रजी में 555 GOLD WHISKY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY लिखा था। पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से बरामद पिस्टल एवं शराब के सम्बन्ध में लाइसेंस तलब करने पर तीनों व्यक्ति लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से कडाई से पूछताछ करने पर उन्होनें बताया कि हम लोगों को पानीपत हरियाणा से एक व्यक्ति शराब बेचने आता है जिसे हम लोग सस्ते दामों में खरीदकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर महंगे दामों पर बेचकर अधिक लाभ कमाते है और अभी हमारे पास जो नगदी है वह भी हम लोगों को 40 क्वार्टर शराब बेचकर ही मिली है।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से गाडियों के प्रपत्र मांगने पर अभियुक्त गाडियों के प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहे जिनके संबंध में पुलिस द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी करने पर गाडियों की नं0 प्लेट फर्जी पायी गयी जिन्हें अभियुक्त अवैध शराब परिवहन के लिए उपयोग में लाते हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 133/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 मु0अ0सं0 134/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 135/2021 धारा 188/269/270/420/467/468/471 IPC, 03 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के शराब तस्कर हैं जिनके विरूद्ध आसपास के जनपदों के थानों में कई अभियोग पंजीकृत हैं जिनके बारे में इटावा पुलिस द्वारा जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.नितिन तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी निवासी म0नं0 427 महोली की पौर नई कोतवाली जनपद मथूरा हाल पता म0नं0 08अनामिका कालोनी थाना ताजगंज आगरा

2. अजीत सिंह पुत्र मानसिंह निवासी अशोक नगर थाना फ्रैण्डस कालोनी इटावा

3. अभिषेक भदौरिया पुत्र राम अवतार सिंह निवासी अशोक नगर मिंया की फिल्ड के सामने थाना फ्रैण्डस कालोनी इटावा।

बरामदगीः-

1. 49 पेटी (2352 क्वार्टर) अवैध अंग्रेजी शराब
2. 01 कार स्विफ्ट VDI नं0 UP 80 CN 7915
3. 01 कार स्विफ्ट डिजायर नं0 UP 80 CT 2872
4. 1,13,600 रुपये नगद
5. 01 पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

पुलिस टीमः-प्रथम टीमः- उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी SOG, उ0नि0 श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम

द्वितीय टीमः- निरीक्षक जीवाराम यादव प्रभारी थाना इकदिल, व0उ0नि0 राजेश कुमार ,उ0नि0 अनुभव चौधरी, उ0नि0 दयानन्द पटेल, का0 मयंक शर्मा ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा